संख्या- 9/2023/119/35-3-2022-16(01)/2019

प्रेषक,

राम प्रीत राम
उप सचिव
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अनतर्गत जनपद-महराजगंज हेतु स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र, किसान शेड तथा सड़क/पुलिया के निर्माण कार्यों के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की गयी थी:-

1. शासनादेश संख्या-28/2020/389/35-3-2020-16(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा जनपद-महराजगंज में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण कार्यों की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत रू. 21.50 लाख (रू. इक्कीस लाख पच्चास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश के रूप में रू. 12.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2. शासनादेश संख्या-24/2020/387/35-3-2020-16(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा जनपद-महराजगंज में सड़क पुलिया निर्माण कार्यों की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत रू. 575.08 लाख (रू. पांच करोड़ पचहत्तर लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश के रूप में रू. 345.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3. शासनादेश संख्या-30/2020/391/35-3-2020-16(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा जनपद-महराजगंज में किसान शेड निर्माण कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत रू. 19.89 लाख (रू. उन्नीस लाख नवासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश के रूप में रू. 11.93 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय, राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि का कोषागार से आहरण कर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यक्रम के अंतर्गत पी०एफ़०एम०एस० के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) के बचत खाता संख्या: 40596353470, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ में हस्तांतरित कराने तथा व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	पी.एफ.ए.डी. @ एस.एल.एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत (जी.एस.टी. नियमानुसार/ वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी)	पूर्व में स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	स्वीकृत धनराशि (राज्यांश 40 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
	कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग				
1.	नौतनवा	ग्राम सेवतरी बाजार पक्की सड़क से परसहवा तक लेपन निर्माण कार्य (ल. 500 मी.)	33.89	20.33	**13.56**
2.	लक्ष्मीपुर	ग्राम-पकरडीहा से भागीरथपुर के बीच पवह नाले पर 2 गुणे 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं एप्रोच का निर्माण कार्य।	29.72	17.83	**11.89**
		योग (1+2)	63.61	38.16	**25.45**
	कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग				
3.	नौतनवा	ग्राम बरगदवा में किसान शेड का निर्माण	19.89	11.93	**7.96**
		योग	19.89	11.93	**7.96**
	कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग				
4.	नौतनवा	ग्राम-झिगंटी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	10.75	6.45	4.30
5.	नौतनवा	ग्राम-हनुमानगढ़िया में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	10.75	6.45	4.30
		योग (4+5)	**21.50**	**12.90**	**8.60**
		महायोग:	**105.00**	**62.99**	**42.01**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- सन्दर्भित शासनादेश संख्या-28/2020/389/35-3-2020-16(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-24/2020/387/35-3-2020-16(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-30/2020/391/35-3-2020-16(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से उपरोक्त परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- जनपद द्वारा पूर्व में जारी केन्द्रांश के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध- कराये जाने तथा जिलाधिकारी की संस्तुति के क्रम में राज्यांश के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के पूर्व जिले के सक्षम अधिकारी से उपरोक्त परियोजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

6- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

8- प्रशासकीय विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

11- प्रशासकीय विभाग/ जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

12- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे प्रशासकीय विभाग/ जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- प्रशासनिक विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त , 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रशा0 विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15- प्रशा0 विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

16- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रम संख्या: 1 व 2 पर अंकित कार्यों के मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

क्रम संख्या: 3 पर अंकित कार्य के मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8916-किसान/शेड/ गौशाला का निर्माण/विस्तार आदि के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

क्रम संख्या: 4 व 5 पर अंकित कार्यों के मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम -800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई0-5-238-x-2022-2023, दिनॉक 14 मार्च, 2023, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- / / /35-3-2022-16(01)/2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4- जिलाधिकारी, महराजगंज।
5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- कोषाधिकारी, महराजगंज।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
11-उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
12-अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन अनुभाग-1|
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।